

खनसिंह पुत्र रतन जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
जस्थान

—वादी

बनाम

राम लाल बुद्ध पुत्र दौजी जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
जस्थान

—प्रतिवादीगण—04

दिनांक

फर्द अहकाम

10-2023

यह दावा वादी की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.11.2023 को पेश हो।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

16/11/23 वकूलाव उपस्थित/पीतासीन अधिकारी
.....को पेश है।
14-3-24

~~16/11/23 पत्रावली पेश हुई वकूलाव उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते.....को पेश हो।~~

1/24 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। वादी व वादी वकील को उमरगा में उपस्थित आना पत्रावली मानी। उमरगा दिनांक के बाद वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। निर्णय जारी है कि वादी व वादी वकील उमरगा में उपस्थित नहीं हैं। अतः मुद्दा 23/23 दावा खारज है। उमरगा बुद्धशम अदालत में उपस्थित नहीं किया गया है। पत्रावली के लिए सुनार उमरगा में उपस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

